

1	2	3	4
7	अहमदाबाद-काठला सड़क बरास्ता बीरमगाम और धर्मगढ	190	429.76
8	काडला- 14 पत सड़क बरास्ता गाधीघाम-भुज	184	172.10
9	अहमदाबाद जयपुर-दिल्ली सड़क बरास्ता मेहसाना-पलनपुर-अबू-बीबर	175	139.50
10	भगोदरा-वाटमन योजक मडक	26	55.76
कुल		2308	4371.66

प्रश्न के भाग (क) में (i), (iii) तथा (iv) पर उल्लिखित सड़के क्रमशः क्र० स० 5 7 और 3 के अन्तर्गत आ जाती हैं। राजकोट-जेटपुर-जूनागढ वेशोद-वेरावेल-सोमनाथ सड़क इन दस मार्गों के अन्तर्गत नहीं आती। परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8-ख राजकोट और जेटपुर से जुड़ा हुआ है।

वित्तीय कठिनाइयों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण, सरकार इन सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने में असमर्थ है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रोड्यूसरों और स्टाफ आर्टिस्टों के पदों पर नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

* 223. श्री राम प्रसाद देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत आठ वर्षों से आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रोड्यूसरों के रूप में कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं

(ख) उनकी शैक्षिक योग्यताएँ क्या हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रोड्यूसरों की संख्या कितनी है ;

(ग) वहाँ, अनुसूचित जातियों के कुल कितने स्टाफ आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और स्टाफ आर्टिस्टों की कुल संख्या में उनकी संख्या कितने प्रतिशत है, और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को भविष्य में आर्टिस्ट नियुक्त किया जायेगा और वे कितने प्रतिशत होंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) (क) आकाशवाणी में 125 और दूरदर्शन में 3। आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर की श्रेणी का एक अप्रैल 1977 से विलय कर दिया गया था। अतः आकाशवाणी से सम्बन्धित सूचना में ऐसे सहायक प्रोड्यूसर भी शामिल हैं जिन्होंने सहायक प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसर दोनों के रूप में 8 वर्ष की सम्मिलित सेवा पूरी कर ली है।

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रोड्यूसरों के नाम और उनकी शैक्षिक अर्हताएँ सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं [पत्राचार में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1739/78] दूरदर्शन के 3 प्रोड्यूसरों में से आरक्षित श्रेणी का कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है। आकाशवाणी के 125 प्रोड्यूसरों में से 2 प्रोड्यूसर अनुसूचित जाति के हैं। इन 2 में से एक को हम बीच कट्टा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत प्रारक्षित श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों की कुल संख्या तथा स्टाफ आर्टिस्टों की कुल संख्या में उनकी प्रतिशतता समा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [प्रश्नालय में रखा गया। देखिए संख्या एन० टी० 1739/78]।

(घ) आरक्षण सम्बन्धी आदेश 18 सितम्बर 1976 में वादकों और संगीतजों को छोड़कर आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों की सभी श्रेणियों पर लागू कर दिया गया है। दूरदर्शन में आरक्षण सम्बन्धी आदेश फिनहान निम्नलिखित छ श्रेणियों पर ही लागू होते हैं :—

1. जनरल प्रिन्सिपल ;
2. लाईटिंग प्रिन्सिपल ,
3. फ्लोर प्रिन्सिपल ;
4. कागपेंटर ;
5. पेंटर , और
6. दर्जी ।

स्टाफ आर्टिस्टों की अन्य श्रेणियों पर भी आरक्षण सम्बन्धी आदेश लागू करने का प्रस्ताव विभागाधीन है ।

Industries in Rural Areas

*224. SHRI AGHAN SINGH THAKUR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for setting up industries in the rural areas of the country;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government will select places for setting up these industries,

and if so, the criteria proposed to be adopted for the purpose?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c). The thrust of the Industrial Policy announced in Parliament on 23rd December, 1977, will be an effective promotion of Cottage and Small Industries widely dispersed in rural areas and small towns. To achieve this, the list of Industries reserved for the Small Scale Sector has been expanded substantially to cover over 500 items. This list will be continuously reviewed to provide adequate support for the growth of the Small Scale Sector as new products and new processes capable of being manufactured in the small scale sector are identified.

In order to provide a focal point of development for small scale and cottage industries, there will be one agency in each District viz., the District Industries Centre to deal with all requirements of small and Village Industries. The District Industries Centre will provide all the services and support required by Small and Village entrepreneurs under a single roof. The Centre will be manned by responsible officers of different disciplines to : provide an effective set up for economic investigation supply : machinery and equipment, provision of raw material, arrangement of credit facilities, an effective set up for marketing and financial assistance and linkage with the banks. This organisational set up will be implemented from May, 1978 to initially cover the RIP districts and progressively entered to the other districts in the country.

The State industrial machinery is being effectively involved in identification of the districts for locating the District Industries Centres and in manning these Centres with the requisite skills and disciplines to ensure a comprehensive involvement of Central and State resources and expertise in generating sustained and productive industrial growth in the rural areas.